BUREAU OF INDIAN STANDARDS

FOR IMMEDIATE RELEASE

PRESS NOTE: G/30/2017-18 19 January 2018

BIS URGES FIRE SAFETY AND HEALTH SAFETY IN BUILDINGS

Bureau of Indian Standards (BIS) jointly with the Indian Plumbing Association organized a day long workshop on National Building Code of India 2016 with focus on Fire and Life Safety and Plumbing Services in buildings. During the event, presentations were made by experts involved in the formulation of recently revised National Building Code of India 2016. The event was inaugurated by Shri R. K. Mittal, Deputy Director General (Standardization), BIS who emphasized on copious use and implementation of NBC 2016 in all building programmes envisaged in different parts of country.

During the technical sessions the experts highlighted the incidents of fire occurred in different parts of country resulting in casualty and loss of property. The reason for calamities was assigned primarily to non-compliance to NBC or ineffective implementation thereof. Another area discussed at length was the plumbing services encompassing water supply, drainage, sanitation, solid waste management and gas supply, impinging upon health safety of occupants of buildings. The experts deliberated on ensuring comprehensive fire safety and health safety provisions in residential, hospital, commercial and industrial buildings and also special requirements in metro stations and train ways, commercial kitchen, parking including multi-level mechanized parking, malls and multiplexes.

The event was attended by around 200 delegates representing regulators such as local bodies, government construction agencies, builders/developers, consultants, building professionals and academic institutions. All participants concerned with the building planning design and construction urged upon the effective utilization of the sound provisions enshrined in the latest state of the art NBC 2016 to ensure safety of buildings and its occupants.

<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u>

<u>तत्काल रिलीज के लिए</u>

प्रेस नोट: जी/30/2017-18 **दिनांक 17 दिसंबर 2018**

<u>भवनों में अग्नि सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बीआईएस ने बल दिया</u>

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भवनों में अग्नि एवं जीवन सुरक्षा और प्लमबिंग सेवाओं पर केंद्रित भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता पर इंडियन प्लमबिंग एशोसियशन के साथ संयुक्त रूप से एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस आयोजन के दौरान हाल ही में पुनरीक्षित भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 के लिए कार्य करने वाले विशेषज्ञों ने प्रस्तुतीकरण दिए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री आर.के. मित्तल, उपमहानिदेशक (मानकीकरण), बीआईएस द्वारा किया गया और उन्होंने देश के विभिन्न भागों में सभी निर्माण कार्यक्रमों में राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 के अत्यधिक उपयोग और कार्यान्वयन पर बल दिया।

तकनीकी सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने देश के विभिन्न भागों में घटित आग की ऐसी घटनाओं जिनके परिणास्वरूप जनजीवन तथा संपत्ति की हानि हुई, उन पर प्रकाश डाला। दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता की गैर-अनुपालना या उसका निष्प्रभावी कार्यान्वयन था। दूसरा ऐसा क्षेत्र, जिस पर लम्बी चर्चा हुई, वह भवनों में रहने वालों की स्वास्थ्य सुरक्षा से सीधा संबंध रखने वाले, कार्य जैसे जल आपूर्ति, जलनिकास, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन तथा गैस आपूर्ति जैसे मुद्दों से जुड़ी प्लम्बिंग सेवाएँ थीं। विशेषज्ञों ने आवास, अस्पताल, व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनों के साथ-साथ मैट्रो स्टेशनों एवं रेल की पटरियों की विशेष अपेक्षाओं, व्यावसायिक रसोई, बहु मंजिली यांत्रिक पार्किंग सहित पार्किंग, मॉल तथा मल्टीपलैक्सों में व्यापक अग्नि सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रावधानों सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की।

इस कार्यक्रम में स्थानीय निकाय, सरकारी निर्माण एजेंसियाँ, बिल्डर/डवलपर, परामर्शदाता, भवन व्यवसायी तथा शैक्षिक संस्थाओं जैसे नियामकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने भवनों तथा इनमें रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 में दिए गए सशक्त प्रावधानों को प्रभावी रूप से भवन आयोजना डिजाइन तथा निर्माण में प्रयोग करने पर बल दिया।